

दिनांक:—26.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप.। प्रार्थना-पत्र चलाना नहीं चाहते हैं। मूल वाद खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 आर टी ए. में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.04.2019 जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।